न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 111/2024

वादीगण :-
1. कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
2. दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह जातियान राव निवासीगण बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. चन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. प्रभुसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. जालमसिंह पुत्र गुमानसिह
4. जबरसिंह पुत्र गुमानसिंह
5. हडमानसिंह पुत्र शैतानसिंह
6. मानसिंह पुत्र शैतानसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह
8. गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह जातियान राव निवासीगण बाजडा तहसील बिलाडा
9. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा बिलाडा
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या-1 से 8-श्री सुनिल कुमार, श्री एच आर प्रजापत अधिवक्ता,
प्रतिवादी सं.-9 से 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या -12 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :-09/3/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.7474 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, रकबा 1.3429 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, रकबा 0.7443 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, रकबा 1.0113 हैक्टयर किस्म बारानी अलीफ, रकबा 0.9304 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा खसरा खसरा खसरा खसरा नम्बर 157 नम्बर 18 नम्बर 232 नम्बर 276 नम्बर 325 रकबा 1.3591 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 7 कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/6 वां हिस्सा वादी संख्या-1 का तथा 1/6 वां हिस्सा वादी संख्या-2 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का तथा 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 8 इसके लिए तैयार नही हुए तो वादीगण अपने 1/6-1/6 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना प

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा दिनांक 08.09.2024 को वादीगण के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नही होने पर बमुकाम ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा मै पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.7474 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.3429 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7443 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.0113 हैक्टयर किस्म बारानी अलीफ, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.9304 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नम्बर 325 रकबा 1.3591 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 7 कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/6-1/6 वां हिस्से की भूमि को अलग अलग कर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 14.07.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और राजस्व ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.7474 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.3429 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7443 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.0113 हैक्टयर किस्म बारानी अलीफ, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.9304 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नम्बर 325 रकबा 1.3591 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 7 कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्ट)
1	कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह 1/2 जाति राव सा. देह खातेदार दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह 1/2 जाति राव सा. देह खातेदार	18 157 276 15	0.7168 1.3429 0.9304 0.2137
	कुल खसरा	4	3.2038

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2	गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/8 जाति राव सा. देह खातेदार रहन सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा रणसीगांव मानसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/8 जाति राव सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा हड़मान सिंह पुत्र शैतानसिंह 1/8 जाति राव सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/8 जाति राव सा. देह खातेदार चन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह 1/8 जाति राव सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा एडीबी बिलाड़ा जबरसिंह पुत्र गुमानसिंह 1/8 जाति राव सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा एडीबी बिलाड़ा प्रभुसिंह पुत्र गुमानसिंह 1/8 जाति राव सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा एडीबी बिलाड़ा जालमसिंह पुत्र गुमानसिंह 1/8 जाति राव सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा एडीबी बिलाड़ा	105 232 325 15	1.7474 1.0113 1.3591 2.3039
	कुल खसरा	4	6.4217
3	वादीगण व प्रतिवादीगण शामलाती खातेदार (रास्ता हेतु)	18 15	0.0275 0.0469
		2	0.0744

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01.10.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 1.10.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
वादीगण
कर्णसिंह
बनाम
प्रतिवादीगण
चन्द्रसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
राजस्व वाद संख्या :- 111/2024

निर्णय

दिनांक :- 09/9/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी संख्या- 1 से 8- श्री सुनील कुमार, श्री हिम्मताराम प्रजापत अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.- 9 से 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या -12 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 1.10.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा